पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय जालोर

सूचना: प्रथम अनंतिम प्रवेश सूची (कक्षा 2 से कक्षा 9)

कृपया ध्यान दें कि आपके बच्चे का नाम कक्षा-2 से कक्षा-9 की **प्रथम अनंतिम प्रवेश सूची** में शामिल किया गया है। यह सूची केवल दस्तावेज़ सत्यापन हेतु है, अंतिम प्रवेश नहीं।

दस्तावेज़ सत्यापन कार्यक्रम

विवरण	तिथि / समय
तिथि	14 अप्रैल 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक
समय	प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
अंतिम तिथि एवं समय	17 अप्रैल 2026, दोपहर 1:00 बजे

आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची (सभी अभिभावकों के लिए)

(सभी ज़ेरॉक्स प्रतियाँ स्वयं सत्यापित (Self-Attested) होंगी।)

1. विद्यार्थी की 1 पासपोर्ट आकार की फोटो
2. विद्यार्थी की पिछली विद्यालय से प्राप्त T.C. (जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो)
3. स्थानीय आवास प्रमाण पत्र – स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
4. जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC-NCL) – OBC-NCL प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी हुआ हो (यदि लागू हो) – स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
5. बच्चे का आधार कार्ड – स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
6. बच्चे की माता का आधार कार्ड – स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
7. बच्चे के पिता का आधार कार्ड – स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
8. बच्चे की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट – स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
9. PEN & APPAR ID (यदि बच्चा पहले किसी विद्यालय में अध्ययनरत था) – स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि
 नोट: यदि अभिभावक ने पहले ही इनमें से कुछ दस्तावेज जमा करवा दिए हैं, तो उन्हें दोबारा वे दस्तावेज जमा नहीं करवाने हैं।

अतिरिक्त दस्तावेज़ (सरकारी कर्मचारी अभिभावकों के लिए)

1. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सर्विस सर्टिफिकेट – **मूल**
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र (पिछले 7 वर्षों में हुए स्थानांतरणों का विवरण) – यदि लागू हो – **मूल**
3. अंतिम माह की वेतन पर्ची
4. विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र

महत्वपूर्ण निर्देश

1. **अंतिम तिथि (17 अप्रैल 2026, दोपहर 1:00 बजे)** तक यदि कोई अभिभावक विद्यालय में संपर्क नहीं करता है अथवा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाता है, तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और यह स्थान अगले अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा।
2. बच्चे का केवल सूची में नाम आना ही प्रवेश नहीं माना जाएगा। सभी कागजातों की जाँच के बाद तथा प्रवेश शुल्क जमा होने के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा।
3. प्रवेश के दिन बच्चे का विद्यालय में आना **अनिवार्य** है।
4. विद्यालय में प्रवेश के लिए माता-पिता (दोनों में से किसी एक) का उपस्थित होना **जरूरी** है।
5. प्रवेश संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
6. समय पर दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।